International Journal of Multidisciplinary Research and Development
Online ISSN: 2349-4182, Print ISSN: 2349-5979, Impact Factor: RJIF 5.72
www.allsubjectjournal.com
Volume 3; Issue 10; October 2016; Page No. 214-218

जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक–बालिकाओं में प्रवेश दर का लिंग के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन

डॉ0 डिगर सिंह फर्स्वाण

विभागाध्यक्ष (बी0एड), देवभूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन लालपुर रूद्रपुर उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, भारत।

सारांश

प्रस्तुत शोध अध्ययन में जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक–बालिकाओं में प्रवेश दर का लिंग के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् कुल विद्यार्थियों का अध्ययन हेतु चयन किया गया है। विद्यालयों में प्रवेश का अर्थ बालक–बालिका का निर्धारित उम्र में निर्धारित कक्षा में प्रवेश लेने से है। जिससे बालक–बालिका निर्धारित समय में बिना किसी बाधा के गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर सकें। तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक–बालिकाओं में प्रवेश दर में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है। शिक्षा के सार्वभौमीकरण के मद्देनजर सरकार तथा शिक्षा विभाग द्वारा बुनियादी तथा प्राथमिक शिक्षा तक सबकी पहुॅच बनाने तथा गुणवत्तापरक शिक्षा देने की सतत् पहल की जा रही है, जिससे समाज तथा देश के भविष्य का ठोस आधार विकसित हो सके। परन्तु कई नकारात्मक कारणों जैसे– माता–पिता की निरक्षरता तथा जागरुकता का अभाव, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, विषम भौगौलिक परिस्थितियॉ तथा समुचित व्यवस्थाओं का अभाव होने से आज भी प्राथमिक शिक्षा में ''सभी के लिए शिक्षा'' जैसी परिकल्पना सार्थक नहीं हो सकी है। जब तक 6–14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना संभव नहीं होगा।

मूल शब्दः बुनियादी शिक्षा, प्रवेश दर, तुलनात्मक अध्ययन, गुणवत्तापरक शिक्षा, जागरुकता, सभी के लिए शिक्षा।

प्रस्तावना

प्राथमिक शब्द का सामान्य अर्थ है– प्रारम्भिक व मुख्य। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का अर्थ हुआ– प्रारम्भिक शिक्षा इसलिए कि यह बच्चे को प्रारम्भ में दी जाती है और मुख्य शिक्षा इसलिए कि यह भविष्य के शिक्षा की नींव होती है। प्राथमिक शब्द के पीछे एक भाव और छिपा है और वह यह है कि इसके द्वारा बच्चे को शिक्षा प्रकिया की प्रथम आवश्यकता सम्प्रेषण के माध्यम की शिक्षा दी जाती है और उन्हें सामाजिक जीवन जीने की प्राथमिक क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का किसी भी बच्चे के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है अतः किसी भी मानव समाज में इसका अत्यधिक महत्व व आवश्यकता है। आज प्रायः सभी समाजों में शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च व विशिष्ट वर्गो में बाटॉ गया है और इन सभी वर्गो की शिक्षा का आधार प्राथमिक शिक्षा ही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए कई नीतियॉ, कार्यक्रम तथा योजनाएं संचालित की जा रही है। प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में संविधान की 45वीं धारा में स्पष्ट निर्देश है– ''राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से दस वर्ष के अन्दर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा।'' तभी से हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने की ओर ठोस कदम उठाए गए। इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP, सर्व शिक्षा अभियान SSA, मध्यान्ह भोजन योजना MDM तथा शिक्षा गारन्टी योजना EGS, जैसे कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क, अनिवार्य व गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कर प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना है। यह बात अलग है कि उस लक्ष्य को हम 10 वर्षो के अन्दर तो क्या आज तक भी प्राप्त नहीं कर सकें है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में अनेक बाधाएं रही है जिसमें मुख्य है– सामाजिक पिछड़ापन, धनाभाव, माता–पिता की निरक्षरता, जागरुकता का अभाव, विषम भौगोलिक परिस्थितियॉ, बढ़ती हुई जनसंख्या और ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा की कमी।

शिक्षा में गुणवत्ता का अर्थ है मानक स्तर की शिक्षा विद्यार्थी अपनी आयु एवं कक्षा के अनुसार शिक्षा के न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त करें यह समाज की मॉग होती है (रैकवार, 2000)। शिक्षा मनुष्य के विकास की अभिव्यक्ति है। शिक्षा के द्वारा ही इच्छा शक्ति की धारा पर सार्थक नियंत्रण स्थापित हो सकता है। भारत में औपचारिक शिक्षा के साथ अनौपचारिक शिक्षा का भी महत्व कम नही रहा है क्योंकि इसके माध्यम से 6 से 14 आयु वर्ग के शालात्यागी तथा कतिपय कारणों से निरक्षर रह गये बालक–बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है (गुप्ता, 1983, तोमर, 1991, मिश्र, 1998)।

नयाल (1983) और नयाल एवं शान्ति नयाल (1989) ने उल्लेख किया है कि शिक्षा विद्यालय के चारों ओर के संतुलित एवं परिपक्व व्यक्तित्व विकास में वांछित एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिलाओं की निरक्षरता एवं अपरिपक्व व्यक्तित्व उनके बच्चों की शिक्षा एवं व्यक्तित्व को बुरी तरह से प्रभावित करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में ''सभी के लिए शिक्षा'' की पुनरावृत्ति की गयी थी। इसमें जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र तथा गरीबी–अमीरी के भेदभाव के बिना सभी बच्चों को क्षमता और समानता के सिद्धान्त पर आधारित शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में यह उल्लेख किया गया है कि देश में संचालित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का सघन मूल्यांकन आवश्यक है जिससे विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति एवं गुणवत्ता का आंकलन किया जा सकता है।

वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा में प्रवाह आरेखण एक ज्वलन्त समस्या है। प्रवाह आरेखण के अन्तर्गत नामांकन, प्रवेश, कक्षा प्रोन्नत, कक्षा पुनरावृत्ति तथा कक्षा शालात्यागी जैसी समस्यायें

आती हैं। ये समस्यायें प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्रभावित कर रहे हैं। जब तक प्राथमिक शिक्षा में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को विद्यालयों मे नामांकित कराकर उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं की जाती तथा प्राथमिक विद्यालयों में किन्हीं कारणों से बार–बार कक्षा पुनरावृत्ति एवं विद्यालय पलायन जैसी समस्याओ का निदान नहीं किया जायेगा तब तक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना कठिन होगा। हमारे देश की प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन' की समस्या भी उतना ही विकराल है जितना कि अपव्यय। अवरोधन की समस्या प्राथमिक शिक्षा में प्रारम्भ से ही एक गम्भीर चुनौती रहा है।

पूर्व अध्ययन समीक्षा – पूर्ववर्ती अध्ययन से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सबन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान कोषों, पत्र–पत्रिकाओं, शोध पत्रों तथा अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निमार्ण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। इनमें से मुख्य रूप से रैकवार (2000), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), नयाल (1985) और नयाल एवं शान्ति नयाल (1989), कोठारी कमीशन (1964–1966), डी0पी0ई0पी0 III (2006), गैरेट (1981), गुप्ता (1983), तोमर (1991), आर0 पी0 भटनागर एवं मीनाक्षी भटनागर (2005) एवं मिश्र (1998) ने शोध विषय से सम्बन्धित कार्य किये है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किया गया है:–
जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक–बालिकाओं में प्रवेश दर का लिंग के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना

शोध कार्य की मुख्य परिकल्पना निम्न है:–
राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक–बालिकाओं में प्रवेश दर में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण शोध विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श चयन

उतराखण्ड के सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों का अध्ययन के लिए चयन किया गया है।

उपकरण तथा तकनीकें

प्रस्तुत शोध कार्य में न्यादर्श समूहों के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर t मान की सहायता से मध्यमान अन्तर की सार्थकता का आंकलन किया गया है इसके अलावा 0.01 एवं 0.05 स्तर पर सार्थकता स्तर का अध्ययन किया गया है।
't' परीक्षण के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया–

$$t = \frac{M1 - M2}{SED}$$

M_1= पहले न्यादर्श समूह का मध्यमान
M_2= दूसरे न्यादर्श समूह का मध्यमान
SED = मध्यमानों के अन्तर की मानक त्रुटि

$$SED = \sqrt{PQ\left[\frac{1}{N1} + \frac{1}{N2}\right]}$$

$$P = \frac{N1P1 + N2P2}{N1 + P1}$$

प्रदत्त विश्लेषण एवं व्याख्या

जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत् बालक बालिकाओं मे कक्षा प्रवेश का लिंग के आधार पर सार्थक अन्तर ज्ञात करने हेतु प्रवेश दर की तुलना एवं सार्थकता की जॉच t टेस्ट के द्वारा की गयी है।

तालिका 1: कक्षा प्रवेश करने वाले कुल बच्चों का विवरण

कक्षा	कुल बच्चे	कक्षा में प्रवेश पाने वाले बच्चे	प्रवेश से वंचित बच्चे	प्रवेश दर %
1	11994	11826	168	98.60
2	11043	10960	83	99.25
3	10372	10348	24	99.77
4	9641	9629	12	99.87
5	8863	8852	11	99.87

तालिका संख्या–1 में जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत् कुल बच्चों, कक्षावार कक्षा प्रवेश लेने वाले बच्चों तथा कक्षावार प्रवेश से वंचित बच्चों का विवरण दर्शाया गया है। तालिका में प्रस्तुत प्रदत्तों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि कक्षा 1 का प्रवेश दर 98.60 प्रतिशत था। 6 वय वर्ग के कुल 11994 वच्चों में से 11826 बच्चे कक्षा 1 में नामांकित थे तथा 168 बच्चे अपनी नियत कक्षा 1 में प्रवेश पाने से बंचित रह गये। कक्षा 2 का प्रवेश दर 99.25 प्रतिशत था। 7 वय वर्ग के कुल 11043 वच्चों में से 83 बच्चे अपनी नियत कक्षा 2 में प्रवेश पाने से बंचित रह गये। कक्षा 3 का प्रवेश दर 99.77 प्रतिशत था। 8 वय वर्ग के कुल 10372 वच्चों में से 24 बच्चे अपनी नियत कक्षा 3 में प्रवेश पाने से बंचित रह गये। कक्षा 4 का प्रवेश दर 99. 87 प्रतिशत था। 9 वय वर्ग के कुल 9641 वच्चों में से 12 बच्चे अपनी नियत कक्षा 4 में प्रवेश पाने से बंचित रह गये। कक्षा 5 का प्रवेश दर 99.87 प्रतिशत था। 10 वय वर्ग के कुल 8863 वच्चों में से 8852 बच्चे कक्षा 5 में नामांकित थे तथा 11 बच्चे अपनी नियत कक्षा 5 में प्रवेश पाने से बंचित रह गये।

तालिका 2: कक्षा प्रवेश करने वाले कुल बालकों का विवरण

कक्षा	कुल बालक	कक्षा में प्रवेश पाने वाले बालक	प्रवेश से वंचित बालक	प्रवेश दर %
1	5654	5583	71	98.74
2	5241	5209	32	99.39
3	4922	4913	09	99.82
4	4557	4552	05	99.89
5	4215	4209	06	99.86

तालिका संख्या–2 में जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत् कुल बालकों, कक्षावार

कक्षा प्रवेश लेने वाले बालकों तथा कक्षावार प्रवेश से वंचित बालकों का विवरण दर्शाया गया है। तालिका में प्रस्तुत प्रदत्तों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि कक्षा 1 में बालकों का प्रवेश दर 98.74 प्रतिशत था। 6 वय वर्ग के कुल 5654 बालकों में से 5583 बालक कक्षा 1 में नामांकित थे तथा 71 बालक अपनी नियत कक्षा 1 में प्रवेश पाने से बंचित रह गये। कक्षा 2 का प्रवेश दर 99.39 प्रतिशत था। 7 वय वर्ग के कुल 5241 बालकों में से 32 बालक अपनी नियत कक्षा 2 में प्रवेश पाने से बंचित रह गये। कक्षा 3 का प्रवेश दर 99.82 प्रतिशत था। 8 वय वर्ग के कुल 4922 बालकों में से 09 बालक अपनी नियत कक्षा 3 में प्रवेश पाने से बंचित रह गये। कक्षा 4 का प्रवेश दर 99.89 प्रतिशत था। 9 वय वर्ग के कुल 4557 बालकों में से 05 बच्चे अपनी नियत कक्षा 4 में प्रवेश पाने से बंचित रह गये। कक्षा 5 का प्रवेश दर 99.86 प्रतिशत था। 10 वय वर्ग के कुल 4215 बालकों में से 4209 बालक कक्षा 5 में नामांकित थे तथा 06 बालक अपनी नियत कक्षा 5 में प्रवेश पाने से बंचित रह गये।

तालिका 3: कक्षा प्रवेश करने वाले कुल बालिकाओं का विवरण

कक्षा	कुल बालिकाए	कक्षा में प्रवेश पाने वाले बालिकाए	प्रवेश से वंचित बालिकाए	प्रवेश दर %
1	6340	6243	98	98.47
2	5802	5751	51	99.12
3	5450	5435	15	99.72
4	5084	5077	07	99.86
5	4648	4643	05	99.89

तालिका संख्या–03 में जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत् कुल बालिकाए, कक्षावार कक्षा प्रवेश लेने वाले बालिकाए तथा कक्षावार प्रवेश से वंचित बालिकाओं का विवरण दर्शाया गया है। तालिका में प्रस्तुत प्रदत्तों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि कक्षा 1 में बालिकाओ का प्रवेश दर 98.47 प्रतिशत था। 6 वय वर्ग के कुल 6340 बालिकाओं में से 6243 बालिकाए कक्षा 1 में नामांकित थे तथा 98 बालिकाए अपनी नियत कक्षा 1 में प्रवेश पाने से बंचित रह गये। कक्षा 2 का प्रवेश दर 99.12 प्रतिशत था। 7 वय वर्ग के कुल 5802 बालिकाओ में से 51 बालिकाए अपनी नियत कक्षा 2 में प्रवेश पाने से बंचित रह गये। कक्षा 3 का प्रवेश दर 99.72 प्रतिशत था। 8 वय वर्ग के कुल 5450 बालिकाओं में से 15 बालिकाए अपनी नियत कक्षा 3 में प्रवेश पाने से बंचित रह गये। कक्षा 4 का प्रवेश दर 99ण्86 प्रतिशत था। 9 वय वर्ग के कुल 5084 बालिकाओं में से 07 बालिकाए अपनी नियत कक्षा 4 में प्रवेश पाने से बंचित रह गये। कक्षा 5 का प्रवेश दर 99.89 प्रतिशत था। 10 वय वर्ग के कुल 4648 बालिकाओं में से 4643 बालिकाए कक्षा 5 में नामांकित थे तथा 05 बालिकाए अपनी नियत कक्षा 5 में प्रवेश पाने से बंचित रह गये।

तालिका 4: प्रवेश दर–कक्षा 01

समूह	न्यादर्श	प्राप्तांकों का %	P	Q	SE %	t	सार्थकता स्तर
बालक	5654	98.74	98.60	1.40	0.21	1.28	सार्थक नहीं
बालिका	6340	98.47					

तालिका संख्या–04 में प्रस्तुत प्रदत्तों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों में कक्षा 1 में प्रवेश दर में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। यहॉ t मान 1.28 था। पिथौरागढ़ में रहने वाले 6 वय वर्ग के बालक–बालिकाओं में प्रवेश दर की समस्या से 1.40 प्रतिशत बालक तथा बालिकायें प्रभावित थे। यद्यपि दोनों न्यादर्श समूहों के मध्य प्रतिशत प्राप्तांकों में अन्तर था तथापि यह अन्तर सांख्यिकीय दृष्टिकोंण से सार्थक नहीं पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि जनपद पिथौरागढ़ में रहने वाले बालक–बालिकायें लगभग समान रूप से इस समस्या से प्रभावित थे।

तालिका 5: प्रवेश दर–कक्षा 02

समूह	न्यादर्श	प्राप्तांकों का %	P	Q	SE %	t	सार्थकता स्तर
बालक	5241	99.39	99.25	0.75	0.16	1.69	सार्थक नहीं
बालिका	5802	99.12					

तालिका संख्या–05 में प्रस्तुत प्रदत्तों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों में कक्षा 2 में प्रवेश दर में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। t = 1.69। पिथौरागढ़ में रहने वाले 7 वय वर्ग के बालक–बालिकाओं में प्रवेश दर की समस्या से 0.75 प्रतिशत बालक तथा बालिकायें प्रभावित थे। यद्यपि दोनों न्यादर्श समूहों के मध्य प्रतिशत प्राप्तांकों में अन्तर था तथापि यह अन्तर सांख्यिकीय दृष्टिकोंण से सार्थक नहीं पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि जनपद पिथौरागढ़ में रहने वाले बालक–बालिकायें लगभग समान रूप से इस समस्या से प्रभावित थे।

तालिका 6: प्रवेश दर–कक्षा 03

समूह	न्यादर्श	प्राप्तांकों का %	P	Q	SE %	t	सार्थकता स्तर
बालक	4922	99.82	99.77	0.23	0.09	1.11	सार्थक नहीं
बालिका	5450	99.72					

तालिका संख्या–06 में प्रस्तुत प्रदत्तों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों में कक्षा 3 में प्रवेश दर में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। t = 1.11। पिथौरागढ़ में रहने वाले 8 वय वर्ग के बालक–बालिकाओं में प्रवेश दर की समस्या से 0.23 प्रतिशत बालक तथा बालिकायें प्रभावित थे। यद्यपि दोनों न्यादर्श समूहों के मध्य प्रतिशत प्राप्तांकों में अन्तर था तथापि यह अन्तर सांख्यिकीय दृष्टिकोंण से सार्थक नहीं पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि जनपद पिथौरागढ़ में रहने वाले बालक–बालिकायें लगभग समान रूप से इस समस्या से प्रभावित थे।

तालिका 7: प्रवेश दर–कक्षा 4

समूह	न्यादर्श	प्राप्तांकों का %	P	Q	SE %	t	सार्थकता स्तर
बालक	4557	99.89	99.87	0.13	0.07	0.43	सार्थक नहीं
बालिका	5084	99.86					

तालिका संख्या–07 में प्रस्तुत प्रदत्तों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों में कक्षा 4 में प्रवेश दर में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। t = 0.43। पिथौरागढ़ में रहने वाले 9 वय वर्ग के बालक–बालिकाओं में प्रवेश दर की समस्या से 0.13 प्रतिशत बालक तथा बालिकायें प्रभावित थे। यद्यपि दोनों न्यादर्श समूहों के मध्य प्रतिशत प्राप्तांकों में अन्तर था तथापि यह

अन्तर सांख्यिकीय दृष्टिकोंण से सार्थक नहीं पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि जनपद पिथौरागढ़ में रहने वाले बालक–बालिकायें लगभग समान रूप से इस समस्या से प्रभावित थे।

तालिका 8: प्रवेश दर–कक्षा 05

समूह	न्यादर्श	प्राप्तांकों का %	P	Q	SE %	t	सार्थकता स्तर
बालक	4215	99.86	99.88	0.12	0.07	0.43	सार्थक नहीं
बालिका	4648	99.89					

तालिका संख्या–08 में प्रस्तुत प्रदत्तों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों में कक्षा 5 में प्रवेश दर में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। t = 0.43। पिथौरागढ़ में रहने वाले 10 वय वर्ग के बालक–बालिकाओं में प्रवेश दर की समस्या से 0.12 प्रतिशत बालक तथा बालिकायें प्रभावित थे। यद्यपि दोनों न्यादर्श समूहों के मध्य प्रतिशत प्राप्तांकों में अन्तर था तथापि यह अन्तर सांख्यिकीय दृष्टिकोंण से सार्थक नहीं पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि जनपद पिथौरागढ़ में रहने वाले बालक–बालिकायें लगभग समान रूप से इस समस्या से प्रभावित थे।

परिणाम

जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक–बालिकाओं में प्रवेश दर का लिंग के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए।

1. कक्षा 1 में बालकों का प्रवेश दर 98.74 प्रतिशत एवं बालिकाओं का प्रवेश दर 98.47 प्रतिशत था तथा 1.40 प्रतिशत बच्चे विद्यालय से बाहर थे।
2. कक्षा 2 में बालकों का प्रवेश दर 99.39 प्रतिशत एवं बालिकाओं का प्रवेश दर 99.12 प्रतिशत था तथा 0.75 प्रतिशत बच्चे विद्यालय से बाहर थे।
3. कक्षा 3 में बालकों का प्रवेश दर 99.82 प्रतिशत एवं बालिकाओं का प्रवेश दर 99.72 प्रतिशत था तथा 0.23 प्रतिशत बच्चे विद्यालय से बाहर थे।
4. कक्षा 4 में बालकों का प्रवेश दर 99.89 प्रतिशत एवं बालिकाओं का प्रवेश दर 99.86 प्रतिशत था तथा 0.13 प्रतिशत बच्चे विद्यालय से बाहर थे।
5. कक्षा 5 में बालकों का प्रवेश दर 99.86 प्रतिशत एवं बालिकाओं का प्रवेश दर 99.89 प्रतिशत था तथा 0.12 प्रतिशत बच्चे विद्यालय से बाहर थे।

अतः कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत् बालक बालिकाओं में प्रवेश दर में लिंग के आधार पर सांख्यिकीय दृष्टिकोंण से कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

निष्कर्ष

उपर्युक्त शोध अध्ययन के विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत् बालक बालिकाओं में प्रवेश दर में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। दोनों न्यादर्श समूहों के मध्य प्रतिशत प्राप्तांकों में अन्तर था परन्तु यह अन्तर सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक नहीं पाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक बालिकायें लगभग समान रूप से कक्षा प्रवेश की समस्या से प्रभावित थे। अतः परिकल्पना सही सिद्ध होती है।

अध्ययन के निहितार्थ

प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रवेश दर के अध्ययन के उपरान्त निम्नलिखित सुझाव समीचीन प्रतीत होते है। ये निष्कर्ष एंव सुझाव शिक्षा के योजनाकारों, प्रशासकों तथा शिक्षकों के लिए प्राथमिक शिक्षा का प्रसार, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण तथा गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते है।

1. प्राथमिक शिक्षा में कक्षा प्रवेश में आने वाले समस्याओं के कारणों को चिन्हित कर उनके समाधान के लिए लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक वातावरण सृजित किया जा सकता है जिससे बच्चे उच्च शैक्षिक उपलिब्ध स्तर को प्राप्त कर सकते है।
2. बुनियादी शिक्षा में एक कक्षा में एक से अधिक वर्ष व्यतीत करने के कारणों को पता लगाकर उसके समाधान हेतु ठोस नीति तैयार किया जा सकता है।
3. प्राथमिक शिक्षा में कक्षा प्रवेश की समस्या के समाधान के लिए शिक्षण नवाचारों का प्रयोग कर शिक्षण को व्यावहारिक, आसान व रूचिकर बनाने का प्रयास अपेक्षित है।
4. जो विद्यार्थी अनुतीर्ण हो रहे है अथवा निम्न शैक्षिक उपलिब्ध के कारण अवसादग्रस्त है उनके मार्गदर्शन हेतु परामर्शदाता की व्यवस्था विद्यालयों में की जानी चाहिए।
5. प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एंव अवरोधन जैसी समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए। इस हेतु माता–पिता तथा अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए निरन्तर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है।
6. प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण के साथ–साथ पाठ्य सहगामी कियाकलापो में बच्चो की समुचित भागेदारी सुनिश्चित कराकर तथा शिक्षण में खेल विधि का प्रयोग किया जाय, जिससे बच्चों में शिक्षण के प्रति रूचि तथा आत्मविश्वास में वृद्धि किया जा सके।
7. प्राथमिक शिक्षा हेतु दूरस्थ क्षेत्रों में समस्त शैक्षिक सुविधायें विकसित कर नामांकन और ठहराव में वृद्धि किया जा सकता है।
8. 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को निर्धारित उम्र में निर्धारित कक्षा में प्रवेश दिलाने हेतु ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। जिससे प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा में कक्षा प्रवेश निर्धारित उम्र में न होने से तथा एक कक्षा में एक से अधिक वर्ष व्यतीत करने से अपव्यय एवं अवरोधन जैसी समस्यायें व्याप्त होती हैं। जब तक प्राथमिक शिक्षा में कक्षा प्रवेश की समस्या के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने का सार्थक प्रयास नहीं किया जायेगा तब तक राष्ट्र तथा समाज के भविष्य का ठोस आधार विकसित नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्रयास किया जाना समीचीन होगा क्योंकि राष्ट्र का भविष्य इन्हीं बालक व बालिकाओं के कन्धों पर है। जब तक सभी बालक–बालिकाओं को विद्यालयों में नामांकित कराकर उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगींण विकास नहीं किया जाता तब तक राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की कल्पना करना व्यर्थ ही होगा। प्राथमिक शिक्षा का मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह शिक्षा मनुष्य के जीवन को आधार प्रदान करता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. रैकवार, रामगोपाल. प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता स्तर की समस्या, प्राइमरी शिक्षक, अप्रैल, 2000, 12–16।
2. गुप्ता, दलजीत. ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ नॉनफारमल एजुकेशन प्रोग्राम (ऐज ग्रुप 9–14) रन बाई डिफ्रेन्ट एजेन्सीज

इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश पी0एच0डी0 एजुकेशन, भोपाल विश्वविद्यालय, 1983।

3. मिश्र, जयनारायण. अनुदेशकों की दृष्टि में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की समस्यायें, भारतीय आधुनिक शिक्षा, जुलाय, 1998, 15–23।
4. तोमर, लज्जाराम. भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, सुरूचि प्रकाशन केशवकुंज झण्डेवाला, नई दिल्ली, संस्करण, 1991।
5. गैरेट, एच. ई. मनोविज्ञान एंव शिक्षा में सांख्यिकी। दशम संस्करण। बी एफ एण्ड सन्स बॉम्बे, 1981।
6. नयाल, जी. एस विद्यालय से पलायन के कारण भारतीय आधुनिक शिक्षा। वर्ष द्वितीय अंक चतुर्थ। एन. सी. ई. आर. टी. नई दिल्ली, 1985।
7. उतरांचल दूरस्थ शिक्षा कार्यकम विद्यार्थी प्रवाह आरेखण एंव विश्लेषण। उतरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद डी. पी. ई. पी. – 3 देहरादून, 2006।
8. पाठक, पी. डी एंव त्यागी, जी. एस. डी. भारतीय शिक्षा के आयोग कोठारी कमीशन सहित। आगरा पब्लिकेशन आगरा, 2008।
9. मानव संसाधन विकास मंत्रालय सर्व शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए एक अभियान। नई दिल्ली : प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, 2002।
10. भटनागर, आर0 पी0 एवं मीनाक्षी भटनागर, 2005। शिक्षा अनुसंधान, मेरठ। लायल बुक डिपो।